# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 62 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016 | 31.08.2016 | 14.07.2022 |

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ....... प्रार्थी

बनाम

1–दूध विक्रेता श्री साजिद अली पुत्र श्री आमीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खिडगी दरवाजा पुरानी टोंक जिला टोंक ...... अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)**

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी स्वयं उप.।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 14.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.05.2016 को समय सायं 08:00 ए.एम. पर दौराने गस्त एनएच–12, इण्डस्ट्रीयल एरिया बायपास टोंक पर पहुंचा वहां पर पक्का बन्धा की तरफ से एक मोटर साईकिल आर जे 26 एसएच 1293 पर 3 ड्रम लटकाकर एक दूध विकेता वास्ते दूध विक्रय आ रहा था को रूकवाकर अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर दूध विक्रेता ने अपना नाम श्री साजिद अली पुत्र श्री आमीर मोहम्मद निवासी खिडगी दरवाजा पुरानी टोंक जिला टोंक बताया एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया तथा मिश्रीत दूध का एकमात्र मालिक होना बताया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अपनी मोटरसाईकिल पर 20 लीटर क्षमता के 2 ड्रम व 10 लीटर क्षमता का 1 ड्रम कुल 3 एल्युमिनियम के ड्रम में लगभग 30–35 लीटर **मिश्रित दूध** रखा था जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर दूध विक्रेता श्री साजिद अली पुत्र श्री आमीर मोहम्मद को फार्म नं. 5ए में मिश्रित दूध वास्ते जांच बाजार भाव के समान क्रय करने हेतु गवाहों के समक्ष सूचना देकर 2 लीटर मिश्रित दूध खरीदा जिसकी जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **मिश्रित दूध** को हिला–मिलाकर चार साफ एवं सूखी कांच की शिशियों में बराबर–बराबर भरकर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाइट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–1341 अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर

1809

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करवाये एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1341 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए. / 16 / 2407 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 280 / एक्ट / 2016 / 330 दिनांक 26.05.2016 अनुसार दूध विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **मिश्रीत दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **मिश्रीत दूध** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिश्रित दूध** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिश्रित दूध** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी साजिद अली पुत्र श्री आमीर मोहम्मद पर शास्ति रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक